



## उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड लाडपुर देहरादून, उत्तराखण्ड

वेबसाइट—[www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in)

E-mail: [chavanavog@gmail.com](mailto:chavanavog@gmail.com)

फोन न० 0135-2669658

विज्ञापन संख्या — 02/उअसेचआ/2015

विज्ञापन तिथि— 29 अक्टूबर, 2015

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि —

03 नवम्बर, 2015

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि—

05 दिसम्बर, 2015

उत्तराखण्ड कोषागार के समस्त जनपद कोषागारों एवं निदेशालय में सहायक लेखाकार, के रिक्त 190 पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:—

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के रिक्त पदों की संख्या—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण	न्यूनतम-अनिवार्य / अधीमानी अर्हता	
2	2.1	कोषागार, पेंशन, एवं हकदारी उत्तराखण्ड	<b>12</b> (GEN-5, GEN(WO)-2, GEN (UKA)-1, SC-1, SC(WO)-1, OBC-1, OBC (WO)-1)	<p><b>अनिवार्य अर्हता—</b> सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बी0बी0ए0 (Bachelor in Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा हिन्दी में 4000 (Key Depression) प्रति घन्टे की गति होनी आवश्यक है।</p> <p><b>अधीमानी अर्हताए:—</b> अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <p>(i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>	
	<b>जनपद कोषागारों में रिक्त पदों की संख्या</b>				
		उप-कोड	जनपद का नाम		रिक्तियों का विवरण
			अल्मोड़ा		<b>24</b> (GEN-7, GEN(WO)-4, GEN(EX)-1, GEN(UKA)-1, SC-3, SC(WO)-2, SC(UKA)-1, ST-1, OBC-3, OBC (WO)-1)
			बागेश्वर		<b>6</b> (GEN-2, GEN(WO)-1, SC-1, SC(WO)-1, OBC-1)
			चमोली		<b>16</b> (GEN-5, GEN(WO)-4, GEN(EX)-1, GEN(PH)-1, SC-1, SC(WO)-2, OBC-1, OBC (WO)-1)
			चम्पावत		<b>4</b> (GEN-1, GEN(WO)-1, SC-1, ST-1)
		2.2	देहरादून		<b>13</b> (GEN-8, GEN(WO)-1, GEN(PH)-1, SC-1, SC(WO)-1, OBC(WO)-1)
			हरिद्वार		<b>18</b> (GEN-6, GEN(WO)-4, GEN(EX)-1, GEN(UKA)-1, SC-3, SC(WO)-1, ST-1, OBC-1)
			नैनीताल		<b>18</b> (GEN-7, GEN(WO)-3, SC-4, SC(WO)-1, OBC-2, OBC(WO)-1)
		पौड़ी	<b>11</b> (GEN-4, GEN(WO)-2, SC-3, SC(WO)-2)		
		पिथौरागढ़	<b>22</b> (GEN-8, GEN(WO)-4, GEN(EX)-1, GEN(UKA)-1, SC-3, SC(WO)-1, ST-1, OBC-		

		2, OBC(WO)-1)	
	रुद्रप्रयाग	<b>3</b> (GEN-1, SC-1, OBC-1)	
	टिहरी	<b>9</b> (GEN-4, GEN(WO)-2, SC-1 SC(WO)-1, OBC-1)	
	उधमसिंह नगर	<b>22</b> (GEN- 8, GEN(WO)-4, GEN(EX)-1, GEN(UKD)-1, SC-2, SC(WO)-2, SC(UKD)-1, OBC-2, OBC(WO)-1)	
	उत्तरकाशी	<b>12</b> (GEN-1, GEN(WO)-3, GEN(EX)-1, GEN(UKA)-1, SC-1, SC(WO)-1, ST-1, OBC-2, OBC(WO)-1)	

**3-पदनाम-** सहायक लेखाकार, **वेतनमान-** रु 5,200-20,200 ग्रेड पे-रु 2,800/- [अराजपत्रित पद (समूह-'ग'), अंशदायी पेंशन योजना युक्त]

**(क) आयु सीमा:-** सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की आयु उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, 01 जुलाई, 2015 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अभ्यर्थी की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

**(ख) चरित्र:-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

**टिप्पणी:-** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

**(ग) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण:-** समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पदों के प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। **(शासनादेश संख्या - 72/XXX (2)/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014)**

**(घ) वैवाहिक प्रास्थिति:-** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो:

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

**(ङ) आरक्षण:-** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

**4- शुल्क :-** ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (Net Banking/Debit or Credit Card) अथवा ई-चालान का प्रिंट आउट प्राप्त करके कर सकता है। उक्त ई-चालान के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाकर जमा कर सकता है। ऑनलाईन अथवा ई-चालान के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद ऑनलाईन अथवा ई-चालान की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रख लें।

**अभ्यर्थी को बैंक चालान के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है :-**

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	रु० 300 /- मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)	रु० 300 /- मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)	रु० 150 /- मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस०टी०)	रु० 150 /- मात्र

**5- लिखित परीक्षा:-**

- चयन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न-पत्र होगा तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में बी०कॉम० एकाउन्टेन्सी के साथ कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। दोनों प्रश्न-पत्र 100-100 अंकों के होंगे। तत्पश्चात् कम्प्यूटर पर टंकण की प्रायोगिक परीक्षा पृथक से होगी। जिसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- लिखित परीक्षा प्रश्न-पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ लें जाने की अनुमति दी जायेगी।
- लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- गलत उत्तरों के लिए दण्ड-** वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा:-
  - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
  - प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा। यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।
  - यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

6- लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में पहले उनकी शैक्षिक योग्यता एवं तत्पश्चात् उनकी आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा।

7- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) में दिये गये निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें और तदपश्चात् ही आवेदन करें यदि किसी स्तर पर यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने सही सूचना नहीं दी है या निर्देशों का पालन नहीं किया है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

8- रिक्त पदों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

9- परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि- 03 दिसम्बर, 2015

10- आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि- 05 दिसम्बर, 2015

सचिव  
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग  
देहरादून।

## अभ्यर्थी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

**1- आरक्षण सम्बन्धित:-** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के "परिशिष्ट-1" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आवेदन-पत्र से सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/श्रेणियों/उप श्रेणियों (एक या एक से अधिक जो भी हो) को अवश्य अंकित करें, अन्यथा वे अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(ii) **ऊर्ध्व आरक्षण:-** उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार ऊर्ध्व आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(iii) **क्षैतिज आरक्षण:-** भूतपूर्व सैनिकों का 05 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 02 प्रतिशत, क्षैतिज आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड सरकार के प्राविधानों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड सरकार के प्राविधानों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।

(iii) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 02 प्रतिशत का लाभ उत्तराखण्ड सरकार के प्राविधानों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।

(iv) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग/निशक्त अभ्यर्थियों के लिए (केवल चिन्हित पदों उपरोक्त पैरा 8(2)(क)(ii) के अनुसार) उच्चतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शासनादेश संख्या 1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर 2010)।

(v) **भूतपूर्व सैनिक:-** आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता-आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी सेना में पुर्नवास के लिए वृद्धि की गयी है, भी इस परीक्षा के लिए निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं-

(क) ऐसे आवेदकों को थल सेना, नौ सेना, वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि, पुर्नवास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ख) ऐसे आवेदकों को यथा-समय यह लिखित अण्डरटैकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिए चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया है अथवा वह त्यागपत्र दे कर सेना से अवमुक्त हुआ है अथवा वह सेना से कदाचार के कारण अवमुक्त हुआ है।

(ग) उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपने सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये वह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से

तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

- (v) **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी:-** उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को अनुमन्य क्षेत्रीय आरक्षण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या-67/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्ति न दिए जाने के अंतरिम आदेश 26.08.2013 दिए गये हैं, किन्तु चयन प्रक्रिया में उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भाग लेने पर रोक नहीं लगाई गई है। अतः राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि उनका उक्त पद हेतु चयन सक्षम न्यायालय के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।
- (vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, राज्य आंदोलनकारी / उनके आश्रित, निःशक्त ( विकलांग ) तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।
- (vii) यदि कोई अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट, श्रेणी (Category) या उपश्रेणी (Sub-Category) उक्त दोनों के अन्तर्गत आरक्षण का दावा करता है तो जो उसके लिए अधिक लाभदायक है तो उसे आवेदन पत्र में इंगित करेगा। आवेदन करने के उपरान्त उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- (viii) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी / उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के "परिशिष्ट-1" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें यथासमय परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-1" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहाँ शपथ-पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ-पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर परम्परागत आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।
- (ix) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेशानुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

**2- राष्ट्रीयता:-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिस ने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जायेगा कि उस ने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

**3-चरित्र:-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी को इस विषय में समाधान करेगा।

**टिप्पणी:-** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

**4-अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्ट रूप से भरे होने चाहिए ( जो लागू हों) तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।**

**5-केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/ प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र उचित माध्यम (Through Proper /channel/NOC) से भेजने होंगे, जिसमें यह उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/विजिलेन्स मामला नहीं चल रहा है।**

**6- ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) भरने हेतु दिशा निर्देश:-**

**ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। भुगतान करते समय अभ्यर्थी अपना समस्त विवरण सही-सही भरे, अन्यथा शुल्क भुगतान के पश्चात् न तो किसी प्रकार का संशोधन होगा और न ही जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस किया जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र व बैंक शुल्क हेतु केवल एक ही मोबाईल नम्बर का प्रयोग करें।**

(ii) ऑनलाइन आवेदन हेतु आयोग की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) में APPLICATION FOR GROUP 'C' RECRUITMENT-2015 के सम्मुख "Click Here" पर जाएं एवं **Continue** करें।

- (ii) आवेदन शुल्क जमा करने के 48 घण्टे के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही-सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकते हैं अथवा ई-चालान द्वारा शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान की प्रिंटआउट निकाल कर **State Bank of India (SBI)** की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Reset** पर **Click** करें एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर **Click** करें।
- (iv) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ JPG Format (50 KB से अनधिक) एवं हस्ताक्षर **JPG Format** (20 KB से अनधिक) में अपलोड करने होंगे।
- (v) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Edit** पर **Click** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।
- (vi) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को **"Online Application"** प्रक्रिया में **"Submit"** बटन को **"Click"** करने पर ही **"Online Application"** प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
- (vii) अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया है, का संदेश प्राप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे सन्दर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।
- (viii) अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- (ix) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) एवं भर्ती प्रक्रिया आयोग के नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।
- (x) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। जालसाजी (फर्जी) प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से 05 वर्षों तक के लिए प्रतिवारित किया जाएगा।
- (xi) आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑन-लाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें।



- (xii) अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (xiii) आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (xiv) **अभ्यर्थी केवल एक ही जनपद के रिक्त पदों हेतु आवेदन कर सकता है।**
- (xv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि, वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए, अन्तिम तिथि से पूर्व ही आवेदन पत्र भर लें।
- (xvi) लिखित परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं आवेदन शुल्क बैंक चालान/Online NetBanking (भारतीय स्टेट बैंक) के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी भी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (xvii) अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
- (xviii) लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- (ix) यदि अभ्यर्थी की अंक-तालिका में प्राप्तांकों की गणना ग्रेड (CGPA, OGPA, SGPA etc.) में हो तो अंक-तालिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार समकक्ष अंकों व प्रतिशत को दर्शाना अनिवार्य है।
- 7- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) में दिये गये निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें और तत्पश्चात् ही आवेदन करें यदि किसी स्तर पर यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने सही सूचना नहीं दी है या निर्देशों का पालन नहीं किया है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 8- किसी भी परिस्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- 9- रिक्त पदों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
- 10- अभ्यर्थी मात्र एक केन्द्र से ही आवेदन करेगा।
- 11- **लिखित परीक्षा:-** (01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों /मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (02) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(03) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(04) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(05) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(06) लिखित परीक्षा के पश्चात् परीक्षा की उत्तरमाला को 10 दिन के भीतर आयोग की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) पर प्रकाशित किया जायेगा।

(07) लिखित परीक्षा के प्राप्तांक और शारीरिक दक्षता परीक्षा के अनुसार प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी।

(08) लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

#### 12:—अन्य आवश्यक निर्देश:—

(1) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(2) लिखित परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जाएगा।

(3) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(4) परीक्षा भवन में आचरण – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलाये तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया के अनुसार कठोर दण्ड

दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(5) अँगूठे का निशान (Thumb Impression) – सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने बायें अँगूठे का निशान अवश्य अंकित करेंगे।

(6) लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति तथा उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा प्रत्येक चरण में विहित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को ही प्रवीणता सूची (Merit List) हेतु विचार किया जाएगा।

(7) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में सम्मिलित हों।

(8) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में छपे पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(9) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र/साक्षात्कार ज्ञाप जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(10) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(11) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(12) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-2014 (Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission-2014) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(13) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(14) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(15) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(16) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(17) प्रश्नगत चयन हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान/Online Netbanking के माध्यम से परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(18) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंको को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

(19) चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराया जायेगा।

(20) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

नोट : अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट/मूल प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों का अवलोकन उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग(UKSSSC) की वेबसाइट पर किया जा सकता है तथा उसी आधार पर आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

**HelpLine No- 7055205320, 7055205321**

**आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 03 दिसम्बर, 2015**

**आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि— 05 दिसम्बर, 2015**

सचिव  
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग  
देहरादून।

## परिशिष्ट

### उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

#### प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .  
..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
उत्तराखण्ड की .....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।  
श्री/श्रीमती/कुमारी .....तथा अथवा  
उनका परिवार  
उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील .....नगर .....जिला .....  
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर .....  
दिनांक : पूरा नाम .....  
मुहर : पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी  
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

**उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र**

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
..... तहसील .....नगर ..... जिला .....  
..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति  
उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए  
आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत  
मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना  
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से  
आच्छादित नहीं है।  
श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड  
के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी  
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

**प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....  
.....तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के  
आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू  
है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .....  
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपयुक्त अधिनियम,1993  
के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।  
स्थान : हस्ताक्षर .....  
दिनांक : पूरा नाम.....  
पदनाम .....  
मुहर .....  
जिलाधिकारी .....  
(सील) .....

---

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के लिए प्रमाण-पत्र

(केवल शा0सं0-1270/तीस-2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शा0सं0-776/xx(4)26/उ0आ0/2006-08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शा0सं0-637/xx(4)26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिह्नित आन्दोलनकारियों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
..... तहसील .....नगर ..... जिला .....  
शा0सं0-1270/तीस-2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शा0सं0-776/xx(4)26/  
उ0आ0/2006-08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शा0सं0-637/xx(4)26/उ0आ0/2006/09  
दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के रूप में चिह्नित हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट